न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 02 / 2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 159**
दायर दिनांक :– 07.06.2023 **निर्णय दिनांक :– 12.08.2025**

1. हरजीराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. गोमदराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अपीलाण्ट

बनाम

1. चनणदास तथाकथित चेला नेनूदास उर्फ तेजूदास निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. किशनदास तथाकथित चेला सोहनदास निवासी चाम्पासर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. ग्राम पंचायत चाम्पासर जरिये सरपंच पंचायत समिति घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी

–रेस्पोडेण्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 642 मौजा चाम्पासर

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 2 की और से

–:: निर्णय ::–

अपीलांट राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चाम्पासर के खसरा नम्बर 365 रकबा 5–06 बीघा पर गैर मुमकिन समाधी नारायण दास जी महाराज की जीवित समाधी स्थित है। जहां पर दादू पंथी नारायणदास जी महाराज का समाधी पर मंदिर व उनके शिष्यों की मरणोपरान्त समाधिया बनी हुई है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट नारायण दास जी की समाधी के रूप में गैर मुमकिन समाधी किस्म दर्ज होकर उनके तत्कालीन शिष्य देवीदास चेला लिछीराम, नेनूदास चेला रामदयाल, सोहनदास चेला हेमदास कौम दादू पंथी साकिन देह दर्ज की गई। उक्त भूमि किसी भी रूप से काबिल काश्त नहीं थी। गैर मुमकिन समाधी की भूमि साधुओं के शमसान के रूप में उपयोग में आ रही थी एवं गैर मुमकिन समाधी के साथ चेलो की एन्ट्री भूलवंश सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा दर्ज कर दी गई जबकि मौके पर कभी भी पिछले 500 वर्षो से काश्त नहीं हुई है। इस कारण उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं थी न ही इसमें चेलो को किसी प्रकार का खातेदारी अधिकार प्राप्त था। सेटलमेंट में दर्ज एन्ट्रीयों के चेले देवीदास, नेनूदास का देहान्त वर्ष 1975 से पूर्व हो चुका है जिसमें किसी का भी कोई खातेदारी अधिकार नहीं होते हुवे भी ग्राम पंचायत चाम्पसर द्वारा बिना किसी अधिकार क्षेत्र के मृत्यु प्रमाण पत्र व

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर मिलीभगत पूर्वक रेस्पोडेन्टस के नाम एन्ट्री उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 642 के जरिये दर्ज कर दी गई। खसरा नम्बर 365 रकबा 5–06 बीघा गैर मुमकिन समाधी की भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 5(24) में धारित भूमि की परिभाषा में कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त भूमि पर दादू पंथी संत नारायण दास जी महाराज की जीवित समाधी पर दादू पंथी संत नारायण दास जी महाराज की जीवित समाधी भक्ती आन्दोलन के दौरान विक्रम सम्वत 1776 में ली हुई है, उनके पश्चात उनके शिष्यों की समाधियां भी मरणोपरान्त इसी स्थान ली गई। इस प्रकार उक्त भूमि साधुओं की समाधियां (शमसान) के रूप में उपयोग में आ रही है। इस कारण सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन समाधी के रूप में दर्ज किया गया जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। वक्त सेटलमेंट उक्त भूमि नारायण दास जी की समाधी के साथ चेलो की एन्ट्री भूलवंश ही दर्ज हुई थी जबकि इस भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नहीं हुई थी न ही कोई खातेदारी अधिकार किसी को विधि अनुसार दिया जा सकता है। मौके पर नारायणदास जी का मंदिर व साधुओं की समाधियां के चबुतरे, चुंगाघर, टांका, धर्मशाला इत्यादि उक्त भूमि पर बने हुवे है, चारों और बाउण्ड्री की हुई है जिसमें सैकड़ों की तदादा में पेडत्र लगे हुवे है एवं मौके पर पत्थरों की टायलों से सड़के बनाई हुई है, एक इन्च भूमि खाली नहीं है परन्तु रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 द्वारा षड़यंत्र पूर्वक उक्त भूमि को हड़पने की नियम से सरपंच चाम्पासर को धोखें में रखकर उक्त भूमि सरकार के खाते में स्वयं के नाम करवाकर समर्पण करने का कहकर अपने स्वयं के नाम फर्जी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया गया जबकि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग (पंचायती राज.)कमांक एफ.15(59) परावि/विधि/प.मार्ग/जयपुर/2019/180/जयपुर दिनांक 30.08.2019 के द्वारा पंचायतों को कुर्सीनामा उत्राधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये जिसमें राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 एवं पंचायती राजज 1996 में परिवार के मुख्या की मृत्यु हो जाने पर पंचायतों द्वारा कुर्सीनामा/वारिशान/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है के निर्देश दिये गये है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा मृत्यु व उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर खोला गया जो विधि अनुसार नहीं होने से न तो स्वीकृत किया जा सकता है न ही खोला जा सकता था। नामान्तरकण की पुश्त पर आर. आई. हल्का द्वारा स्पष्ट नोट अंकित किया कि 1. मृतको के शिष्यों की प्रास्थिति प्रमाणित नहीं है 2. मृतकों के शिष्यों की प्रस्तावना की प्रमाणित अभिलेख के अभाव में नामान्तरकरण खारिज योग्य है फिर भी सरपंच द्वारा उक्त प्रावधानों की पालना किये बिना नामान्तरकण स्वीकृत किया जाकर कानून की घोर अवहेलना की गई है। इस कारण उक्त प्रावधान के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व एवं नियम विरूद्व होने से काबिल निरस्त है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–4) विभाग के परिपत्र कमांकः प5(8)राज/4/87/21 दिनांक 08.10.1987 के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही सरपंच द्वारा जारी किये जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं की जा सकती है क्योकि सरपंच जन्म एवं

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। इस कारण राजस्व अभिलेख में काश्तकारी का नामान्तरकरण एवं भूमि हस्तान्तरण एवं नाम परिवर्तन संबंधित कार्यवाही सरपंच द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र पर जारी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार दिनांक 24.09.1996 को राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर यह आदेश पारित किया कि राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 132 में पंजीकृत दस्तावेज नहीं है तो पटवारी नामान्तरकरण नहीं खोलेगा। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 40 में भूमि अभिधारियों के उत्तराधिकारी का प्रावधान दिया गया है जिसमें अगर कोई हिन्दू अभिधारी निर्वसीयत मर जाए तो उसकी जोत में उसका हित स्वीय विधि के अनुसार जिसमें वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन था न्यायगत होगा। नामान्तरकरण संख्या 642 में नारायण दास समाधी के खातेदारी देवीदास चेला लिछीराम, नेनूदास चेला रामदयाल, सोहनदास चेला हेमदास सभी तथाकथित खातेदार हिन्दू थे एवं उनका उत्तराधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 से 13 के तहत ही न्यायगत होगा जिसमें चेलो का कोई उत्तराधिकार प्राप्त होने का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तराधिकार वारिसानों को ही प्राप्त होने का प्रावधान दिये गये है। जिसके तहत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम का नामान्तरकरण न तो खोला जा सकता है, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 नेनूदास उर्फ तेजदास व सोहनदास के चेले नहीं है। नेनूदास उर्फ तेजदास की मृत्यु ओसिया में दिनांक 22.11. 1973 को हो गई थी जिस वक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 चनणदास का जन्म भी नहीं हुआ था। चनणदास ने स्व. तेजूदास की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 375 रकबा 200 बीघा में से रकबा 180 बीघा भूमि का फर्जी चेला बनाकर बेचान कर दिया था जिसका अपीलाण्ट संख्या 1 के भतीजे व रेस्पोडेंट संख्या 2 के ताउ के लड़के ओमप्रकाश द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें पुलिस द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 420, 468, 471, 120–बी भा.द.सं. में अपराध प्रमाण्ति मानकर सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी में चालान प्रस्तुत किया गया जिसे स्व. तेजूदास का न तो पुलिस विभाग द्वारा चेला माना गया न ही तहसीलदार बाप द्वरा चेना माना गया। इस प्रकार फर्जीवाड़े के तहत चनणदास ने उपरोक्त नामान्तरकण नारायणदास जी की समाधी की जमीन हड़पने के लिये फर्जी तरीके से अपने नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। इसी प्रकार किशनदास का जन्म भी सोहनदास की मृत्यु के पश्चात हुआ है, इस कारण स्व. सोहनदास का किशनदास चेला होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा तत्कालीन सरपंच पविता विश्नोई जो चाम्पासर की नहीं थी जिसे चाम्पासर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसे गुमराह कर देवीदस, नेनूदास उर्फ तेजूदास, सोहनदास की मृत्यु के 40 वर्ष पश्चात मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाकर स्वयं को उत्तराधिकारी बताकर प्रमाण पत्र जारी करवाकर स्वयं द्वारा जमीन राज्य सरकार के खाते में पूरी समर्पण करने का कहकर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया गया जबकि इनके द्वारा मात्र रकबा 3–00 बीघा जमीन ही नामान्तरकरण संख्या 647 के जरिये राज्य सरकार को समर्पण की गई एवं रकबा 02–06 बीघा भूमि शेष रख ली गई उक्त भूमि से भी इनका नाम हटाकर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन समाधी नारायणदास जी महाराज के नाम दर्ज करने हेतु यह अपील पेश है। समाधी की भूमि

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

का बंटवाड़ा व जोत का विभाजन नहीं हो सकता है, न ही खातेदारी दी जा सकती है, नल ही काबिल काश्त भूमि है, मंदिर, शमसान समाधी की भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 213 के तहत विभाजन योग्य नहीं है तो उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण नहीं भरा जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 635 रकबा 02–06 बीघा भूमि पर बने मंदिर व समाधियों को अपनी स्वयं की बतार निजी न्यास का गठन हेतु उप पंजीयक फलोदी में संत श्री नारायणदास जी सेवा समिति आश्रम समाधी चाम्पासर के नाम से पंजीयन करवाकर जिसका प्रधान कार्यालय समाधी सेवा स्थन चाम्पसर मुख्य कार्यालय प्लाट संख्या 267 वृंदाबन धाम पोकरण रोड़ फलोदी के नाम से रखा गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट ने उपरोक्त न्यास का जोधपुर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर पत्रावली संख्या 1/2023/जोधपुर वास्ते किशनदास वगैरा बनाम सभी ग्रामवासी चाम्पासर के नाम से नोटिस जारी होने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अन्य लोगो के साथ मिलीभगत कर फर्जी तरीके से न्यास का गठन किया है जिसमें चाम्पासर के खसरा नम्बर 365 रकबा 0.3966 हैक्टेयर गैर मुमकिन समाधी की भूमि को स्वयं की बताकर उस पर न्यास का संचालन करना चाहते है जिस पर अपीलांट द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 642 की नकल दिनांक 30.05.2023 को लेने पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की जा रही है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 635 रकबा 2–06 बीघा भूमि पर बने मंदिर व समाधियों को अपनी स्वयं की बताकर निजी न्यास का गठन हेतु उप पंजीयक फलोदी में संत श्री नारायणदास जी सेवा समिति आश्रम समाधी चाम्पासर के नाम से पंजीयन करवाकर जिसका प्रधान कार्यालय समाधी सेवा स्थान चाम्पासर मुख्य कार्यालय प्लाट संख्या 267 वृंदाबन धाम पोकरण रोड़ फलोदी के नाम से रखा गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को हाने पर अपीलांट ने उपरोक्त न्यास का जोधपुर में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर पत्रावली संख्या 1/2023/जोधपुर वास्ते किशनदास वगैरा बनाम सभी ग्रामवासी चाम्पासर के नाम से नोटिस जारी होने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर फर्जी तरीके से न्यास का गठन किया है जिसमें चाम्पासर के खसरा नम्बर 365 रकबा 0.3966 हैक्टेयर गैर मुमकिन समाधी की भूमि को स्वयं की बताकर उस पर न्यास का संचालन करना चाहते है, जिस पर अपीलांट द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 642 की नकल दिनांक 30.05.2023 को लेने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट अशिक्षित व गरीब, अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण है जिसे कानून की जानकारी नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णयें नरिरों में प्रतिपादित किया है कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर अपील पेश करने में देरी नहीं की है व अपीलांट कानूनी प्रकिया से अनभिज्ञ है जो उचित

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कारण से देरी क्षमा करने योग्य है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाने का आदेश फरमावे।

अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेटस सं. 1 ता 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 2 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सुनी गयी। हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है :–

अपीलांट हरजीराम वगैरा ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चाम्पासर के खसरा नम्बर 365 रकबा 5–06 बीघा भूमि गैर मुमकिन समाधी नारायणदास जी की जीवित समाधी स्थित है जो वक्त सेटलमेंट नारायणदास जी की समाधी के रूप गै.मु.समाधी किस्म दर्ज होकर उनके तत्कालीन शिष्य देवीदस चेला लिछीराम 1/3, नेनूदास चेला रामदयाल 1/3, सोहनदास चेला हेमदास 1/3 कौम दादू पंथी साकिन देह खातेदार दर्ज की गयी। देवीदस, नेनूदास उर्फ तेजूदास व सोहनदास की कालेदगी के पश्चात ग्राम पंचायत चाम्पासर के मृत्यु व उत्तराधिकार प्रमाण के आधार पर उनके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरकण भरा गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत चाम्पासर द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 02 व पुष्करदास उर्फ पोकरदास के नाम नामान्तरण संख्या 642 स्वीकृत करवा लिया जबकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 5(24) में धारित भूमि की परिभाषा में कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त भूमि पर दादू पंथी संत नारायण दास जी महाराज की जीवित समाधी पर दादू पंथी संत नारायण दास जी महाराज की जीवित समाधी भक्ती आन्दोलन के दौरान विक्रम सम्वत 1776 में ली हुई है, उनके पश्चात उनके शिष्यों की समाधियां भी मरणोपरान्त इसी स्थान ली गई। इस प्रकार उक्त भूमि साधुओं की समाधियां (शमसान) के रूप में उपयोग में आ रही है। इस कारण सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन समाधी के रूप में दर्ज किया गया जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। वक्त सेटलमेंट उक्त भूमि नारायण दास जी की समाधी के साथ चेलो की एन्ट्री भूलवंश ही दर्ज हुई थी जबकि इस भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नहीं हुई थी न ही कोई खातेदारी अधिकार किसी को विधि अनुसार दिया जा सकता है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 5(24) में धारित भूमि की परिभाषा में कृषि भूमि की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त भूमि पर दादू पंथी संत नारायण दास जी महाराज की जीवित समाधी पर दादू पंथी संत नारायण दास जी महाराज की जीवित समाधी भक्ती आन्दोलन के दौरान विक्रम सम्वत 1776 में

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

ली हुई है, उनके पश्चात उनके शिष्यों की समाधियां भी मरणोपरान्त इसी स्थान ली गई। इस प्रकार उक्त भूमि साधुओं की समाधियां (शमसान) के रूप में उपयोग में आ रही है। इस कारण सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि को गैर मुमकिन समाधी के रूप में दर्ज किया गया जिसमें किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। वक्त सेटलमेंट उक्त भूमि नारायण दास जी की समाधी के साथ चेलो की एन्ट्री भूलवंश ही दर्ज हुई थी जबकि इस भूमि पर किसी प्रकार की काश्त नहीं हुई थी न ही कोई खातेदारी अधिकार किसी को विधि अनुसार दिया जा सकता है। इसलिए नामान्तरण संख्या 642 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 635 रकबा 2–06 बीघा भूमि पर बने मंदिर व सामधियों को अपनी स्वयं की बताकर निजी न्यास का गठन हेतु उप पंजीयक फलोदी में संत श्री नारायणदास जी सेवा समिति आश्रम समाधी चाम्पासर के नाम से पंजीयन करवाकर जिसका प्रधान कार्यालय समाधी सेवा स्थान चाम्पासर मुख्य कार्यालय प्लाट संख्या 267 वृंदाबन धाम पोकरण रोड़ फलोदी के नाम से रखा गया। जिसकी जानकारी अपीलांट को हाने पर अपीलांट ने उपरोक्त न्यास का जोधपुर में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर पत्रावली संख्या 1/2023/जोधपुर वास्ते किशनदास वगैरा बनाम सभी ग्रामवासी चाम्पासर के नाम से नोटिस जारी होने पर अपीलांट को जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर फर्जी तरीके से न्यास का गठन किया है जिसमें चाम्पासर के खसरा नम्बर 365 रकबा 0.3966 हैक्टेयर गैर मुमकिन समाधी की भूमि को स्वयं की बताकर उस पर न्यास का संचालन करना चाहते है, जिस पर अपीलांट द्वारा उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 642 की नकल दिनांक 30.05.2023 को लेने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई इसलिए अपीलांट को उक्त अपील पेश करने में हुई देरी का कंडोन दिया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया तथा नामान्तरकरण संख्या 642 व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने नामान्तररकण संख्या 642 को चुनौती दी है। आराजी भूमि पूर्व में वक्त सेटलमेंट खसरा नम्बर 365 रकबा 5–06 बीघा नारायण दास जी की समाधी के रूप में गैर मुमकिन समाधी किस्म दर्ज होकर उनके तत्कालीन शिष्य देवीदास चेला लिछीराम, नेनूदास चेला रामदयाल, सोहनदास चेला हेमदास कौम दादू पंथी साकिन देह दर्ज की गई। सेटलमेंट में दर्ज एन्ट्रीयों में चेले देवीदास, नेनूदास का देहान्त वर्ष 1975 से पूर्व हो चुका है जिसमें किसी का भी कोई खातेदारी अधिकार नहीं होते हुवे भी ग्राम पंचायत चाम्पसर द्वारा बिना किसी अधिकार क्षेत्र के मृत्यु प्रमाण पत्र व उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर रेस्पोडेन्टस के नाम एन्ट्री उपरोक्त नामान्तरकरण संख्या 642 के जरिये दर्ज कर दी गई। सरपंच ग्राम पंचायत चाम्पासर द्वारा विधिक प्रावधानों का

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सम्यक अनुपालन नहीं कर वारिसान की जांच किये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। उक्त नामान्तरकरण पर भू.अ.निरीक्षक ने स्पष्ट नोट अंकित किया है– 1. मृतको के शिष्यों की प्रार्थिति प्रमाणित नहीं है, 2. मृतको के शिष्यों की प्रस्तावना की प्रमाणित अभिलेख के अभाव में नामान्तरकरण खारिज योग्य है। उक्त अपील गुणहीन नहीं है, ऐसी स्थिति में मियाद के सम्बंध में उदार दृष्टिकोण रखना विधि की प्राथमिक आवश्यकता है। विधि अनुसार निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। आर.आर.टी. 2002(1) पेज 649 राजस्थान सरकार बनाम श्योचंद में माननीय उच्च न्यायालय व आर.आर.टी. 2004(1) पेज 375 प्रेमचंद बनाम कमलाबाई में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि विलम्ब उपशमन पर विचार करते हुए सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए। यदि मेरिट पर प्रकरण है तो विलम्ब माफ कर देना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम हम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नामान्तरकरण संख्या 642 मौजा चाम्पासर विधि विरूद्व होने तथा प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त कर तहसीलदार घंटियाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित होगा कि संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये समाधी नारायणदास तत्कालीन शिष्य देवीदास चेला लिछीराम, नेनूदास चेला रामदयाल, सोहनदास चेला हेमदास कौम दादू पंथी के विधिक वारिसानों की जांच कर नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करें।

–:: आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 मय अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलम्ब काल को नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के तहत माफ किया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 642 मौजा चाम्पासर विधि विरूद्व होने तथा प्रकियागत त्रृटिपूर्ण होने के कारण अपास्त कर तहसीलदार घंटियाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सम्बंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए समाधी नारायणदास तत्कालीन शिष्य देवीदास चेला लिछीराम, नेनूदास चेला रामदयाल, सोहनदास चेला हेमदास कौम दादू पंथी के विधिक वारिसान की जांच करते हुए विधि के प्रावधानों की पालना में पुनः निर्णय पारित कर नए सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/25

(सुखाराम मिण्डेल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)